



भारत में समलैंगिक विवाह

प्रलिस के लयः

[समलैंगिक वलवऱह](#), धऱरऱ 377, ढऱरतीढ दंड संहतऱ (IPC), [समलैंगकऱतऱ](#), [LGBTQ सढुदऱढ](#), [सर्वोच्च नऱढऱढऱलढ](#), [उच्च नऱढऱढऱलढ](#), [संवलधऱन ढीठ](#)

ढेन्स के लयः

[समलैंगिक वलवऱह](#) को वैध बनऱने की ऱऱचकऱऱओं ढर [सर्वोच्च नऱढऱढऱलढ](#) के नरऱणढ कऱ सऱढऱऱकऱ तऱने-ढऱने ऱर ढऱरतीढ सढऱऱ की ढरगतऱढर ढरढऱव

[सुरोतः इंडऱढऱन ँकसढरऱस](#)

चरुऱ ढें कऱरुओं?

हऱल ही ढें [सर्वोच्च नऱढऱढऱलढ](#) ने [समलैंगिक वलवऱह](#) को वैध बनऱने की ऱऱचकऱऱओं को खऱरऱऱ करते हुऱऱ ँढनऱ लंढे सढढ से ढरतीकृषतऱ नरऱणढ सुनऱढऱ है ऱर इस ढुदुदे की ढुरी तरह से ऱऱँच करने के लऱढऱ [वलशऱष वलवऱह ँधनऱढऱढऱढ](#), 1954 के ढरऱवधऱनओं ढर गहनतऱ से वऱऱर कऱढऱ है, ऱनऱकऱ [समलैंगकऱतऱ](#) के सऱथ ँढऱसऱरण ँवं ँंतरसंढंध है ।

सर्वोच्च नऱढऱढऱलढ की टढऱढऱणीः

- संवैधऱनकऱ वैधतऱ के वरऱदुधः
 - [ढऱरत के ढुखढ नऱढऱढऱधीश](#) की ँधुढकृषतऱ ढें ढऱरत के सर्वोच्च नऱढऱढऱलढ की ढऱँच-नऱढऱढऱधीशओं की संवऱधऱन ढीठ ने समलैंगिक वलवऱह को संवैधऱनकऱ वैधतऱ की ँनुढतऱऱदेने के खलऱढऱ 3:2 से ढतदऱन कऱढऱ ।
- संसद कऱ डऱढेनः
 - CJI ने ँढनी रऱढ ढें नऱषऱकृष दऱढऱ कऱ नऱढऱढऱलढ SMA 1954 के दऱढरे ढें समलैंगिक सदसुढरुओं को शऱढलऱ करने के लऱढऱ [वलशऱष वलवऱह ँधनऱढऱढऱढ \(SMA\) 1954](#) को न तो ँढऱनुढ कर सकतऱ है ऱर न ही इसढें ढरऱवधऱन ऱऱडे ऱऱ सकते हैं । शीरुष नऱढऱढऱलढ ने कऱहऱ कऱ इस ढर कऱनून बनऱनऱ [संसद](#) ऱर [रऱऱऱढ वधऱनढंडल](#) कऱ दऱढतऱव है ।
- ँनुढ टढऱढऱणऱढऱः
 - हऱलऱँकऱ [सर्वोच्च नऱढऱढऱलढ कऱ कऱहऱनऱ है कऱ वैवऱहकऱ संढंध सऱथऱढी नऱहीं है ।](#)
 - [SC कऱ ढऱननऱ](#) है कऱ समलैंगिक वुढकृतऱढऱऱओं को "संघ" ढें ढरवेश करने कऱ सढऱन ँधकऱर ऱर स्वतंतुरतऱ है ।
 - [ढीठ के सढी ढऱँच नऱढऱढऱधीश](#) इस ढऱत ढर ढी सहढत थे कऱ संवऱधऱन के तहत [वलवऱह करने कऱ कोऱई ढऱलकऱ ँधकऱर नऱहीं है ।](#)

CJI ऱर नऱढऱढऱलढ ढूरतऱ कऱल (ँलढसंखुढक रऱढऱ): समलैंगिक ऱऱडेओं के लऱढऱ [सवलऱलऱ ऱूनढऱन](#) के वसऱतऱर कऱ सढरुथन कऱढऱः

- 'सवलऱलऱ ऱूनढऱन' उस कऱनूनऱ सऱथतऱऱ को संदरुढतऱ करतऱ है ऱऱऱ समलैंगिक ऱऱडेओं को वऱशऱषऱढऱ ँधकऱर ऱर ऱऱढऱढेदऱरढऱढऱ ढरदऱन करतऱ है, ऱे सऱढऱनुढतः वलवऱहतऱ ऱऱडेओं को ढरदऱन की ऱऱतऱ है । हऱलऱँकऱ ँक नऱगरकऱ संघऱक वलवऱह ऱैसऱ ढरतीत हुऱऱ है, लेकनऱ ढरसऱनल लऱँ ढें इसे वलवऱह के सढऱन ढऱनुढतऱ ढरऱढऱ नऱहीं है ।

ढऱरत ढें समलैंगिक वलवऱह की वैधतऱः

- वलवऱह करने के ँधकऱर को ढऱरतीढ संवऱधऱन के तहत [ढऱलकऱ ऱऱ संवैधऱनकऱ ँधकऱर](#) के रूढ ढें सऱढऱढऱ रूढ से ढऱनुढतऱ नऱहीं दी गई है, ढलकऱ ऱह ँक वैधऱनकऱ ँधकऱर है ।
- हऱलऱँकऱ वलवऱह को वऱढऱनऱन वैधऱनकऱ ँधनऱढऱढऱढऱओं के ढऱधुढढ से वनऱढऱढऱतऱ कऱढऱ ऱऱतऱ है, लेकनऱ ढऱलकऱ ँधकऱर के रूढ ढें [सऱढऱढऱ ढऱनुढतऱ केवल ढऱरत के सर्वोच्च नऱढऱढऱलढ के नऱढऱढऱलढ नरऱणढऱओं के ढऱधुढढ से वकऱसतऱ हुऱऱ है ।](#) कऱनून की ँसऱ ऱऱषणऱ संवऱधऱन के [ँनुऱऱऱडे 141](#) के तहत ढुरे ढऱरत

में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

■ समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व विचार:

○ मौलिक अधिकार के रूप में विवाह (शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. और अन्य 2018):

● **मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा** के अनुच्छेद 16 और **पुट्टासवामी मामले** की चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के **अनुच्छेद 21** का अभिन्न अंग है।

○ **अनुच्छेद 16(2)** के अनुसार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, नविस या इसमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।

● **विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतर्निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की खुशी के लिये** केंद्रीय मामलों पर नरिणय लेने की क्षमता के रूप में संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। आस्था और विश्वास संबंधी मामले, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी पर विश्वास करना चाहिये अथवा नहीं, संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में हैं।

○ **LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है (नवतेज सहि जौहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018):**

● सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि LGBTQ समुदाय के सदस्य, "अन्य सभी नागरिकों की तरह, संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी शृंखला के हकदार भी हैं" और समान नागरिकता तथा "कानून के समान संरक्षण" के भी हकदार हैं।

वशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954:

■ परिचय:

○ भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुसलिम परसनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 या वशेष विवाह अधिनियम, 1954** के तहत पंजीकृत किये जा सकते हैं।

○ यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

○ **वशेष विवाह अधिनियम, 1954** में भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिये नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी धर्म या आस्था का हो।

○ जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह संपन्न करता है, तो **विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि वशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।**

■ वशेषताएँ:

○ यह दो **अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को विवाह के बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है।**

○ यह **विवाह के अनुष्ठान और पंजीकरण दोनों के लिये** प्रक्रिया निर्धारित करता है, जहाँ पति या पत्नी या दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं हैं।

○ एक **धर्मनिरपेक्ष अधिनियम** होने के नाते यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क:

■ **कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा:** सभी व्यक्तियों को उनके यौन रुझान की परवाह किये बिना **विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार** है।

○ समान-लिंग वाले जोड़ों को विपरीत-लिंग वाले जोड़ों के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिये।

○ समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिलना **भेदभाव के समान** है जो **LGBTQIA+** जोड़ों की गरमा पर गहरा आघात है।

■ **परिवारों और समुदायों को मजबूत बनाना:** विवाह, जोड़ों एवं उनके परिवारों को सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान करता है जिससे समान-लिंग वाले लोगों को भी लाभ होगा।

■ **मौलिक अधिकार के रूप में सहवास:** **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** ने स्वीकार किया कि सहवास एक मौलिक अधिकार है और ऐसे रश्तों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से पहचानना सरकार का दायित्व है।

■ **जैविक लिंग 'पूर्ण' अवधारणा नहीं है:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि **जैविक लिंग पूर्ण** अवधारणा नहीं है और यह किसी के जननांगों से भी अधिक जटिल है। इसमें **पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है।**

■ **वैश्विक स्वीकृति:** विश्व भर के कई देशों में समलैंगिक विवाह वैधानिक है और लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

○ **32 देशों में समलैंगिक विवाह वैध है।**

समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क:

■ **धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ:** कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही होना चाहिये।

○ उनका तर्क है कि **विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनकी मान्यताओं और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध** होगा।

■ **प्रजनन:** कुछ लोगों का तर्क है कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन है और **समान-लिंग वाले जोड़े जैविक रूप से जनन नहीं कर सकते।**

○ इसलिये उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि यह संसार के प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है।

